न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

निगरानी संख्या : 28/2019 दायरा दिनांक : 10.07.2019

GCMS NO. : 2019/00021

हरीराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़

निगरानीकर्ता

बनाम

1. लूणसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़
2. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति, सूरतगढ़
3. ग्राम पंचायत सोमासर, जरिये सरपंच
4. ग्राम पंचायत भोजेवाला, जरिये सरपंच

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 व 92 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित–
1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री संजय सैन व श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्तागण गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4

:: निर्णय :: दिनांक : 04.01.2023

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 21.10.2014 के प्रस्ताव संख्या 12 के विरूद्ध यह निगरानी पेश कर निवेदन किया कि गांव भोजेवाला की आबादी भूमि में प्रार्थी का पैतृक रिहायशी मकान पैमूदा 100 फुट गुणा 150 फुट स्थित है। प्रार्थी का इस रिहायसी अहाता/मकान पर पैतृक कब्जा पिछले 100 वर्षो से है जिस पर प्रार्थी के दादा/पड़दादा के रिहायसी मकान बने हूऐ थे आज से करीब 15/20 वर्ष पहले प्रार्थी का परिवार इस आबादी से चिपते खेत मे अस्थायी ढाणी बनाकर रहने लग गये, इसलिये इस अहाते मे बनाये हुऐ मकान धीरे –धीरे टुट गये व प्रार्थी इस आहाते का उपयोग नीरा तुड़ी डालने व पालतु जानवर गाय, भैस, भेड़ बकरी रखने मे उपयोग करने लग गया। आज से तीस वर्ष पूर्व जब प्रार्थी का परिवार इस प्लाट मे निवास करते थे तब ग्राम पंचायत सोमासर लगती थी व इन प्लाटो का विनिमितीकरण करके तत्कालीन ग्रम पंचायत सोमासर ने पट्टा बनाने की तमाम विधी सम्मत कार्यवाही करके मौका रिपोर्ट तीन पंचो की लेकर, आपति नोटिस जारी करके किसी भी व्यक्ति की आपत्ति ना पेश होने पर पंचायत समिति सूरतगढ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.04.1989 की अनुपालना मे दिनांक 30.03.1991 को राशि जमा करवाकर प्रार्थी के नाम की मिसल संख्या 362 पर पटटा न 362 जारी कर दिया। उक्त पट्टे के विरूध रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पंचायत समिति सूरतगढ मे एक शिकायत प्रार्थना पत्र/अपील पेश की, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बिना निगरानीकर्ता को सुने पुर्णतया एक तरफा निर्णय करके प्रार्थी के भाई व प्रार्थी के चचेरे भाईयो के तमाम पटटे दिनांक 19.08.2011 को खारीज कर दिये। उक्त निर्णय के विरूध प्रार्थी ने इसी न्यायालय मे निगरानी पेश की थी, जो दिनांक 14.08.2012 को स्वीकार की जाकर पंचायत समिति, सूरतगढ का निर्णय दिनांक 19.08.2011 निरस्त कर प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर विधिक प्रावधानो के आलोक मे पुनः निर्णय पारित करने हेतु पंचायत समिति, सूरतगढ़ की प्रशासन एवं स्थापन स्थायी समिति को प्रतिप्रेषित कर दी गई। परन्तु मातहत न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2012 में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही सभी पट्टो के विरूद्ध एक ही अपील पेश होने पर भी उक्त अपील पर कार्यवाही करते हुए प्लाटों का मौका निरीक्षण किये बिना, पट्टो संबंधित पत्रावली तलब किये बिना तथा पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, पक्षकारान की पीठ के पीछे निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की पालना किये बिना ही पारित किया होने से निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल श[illegible] बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 विकास अधिकारी की ओर [illegible] नहीं। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सैन [illegible] न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने पर प्रक[illegible] उभय पक्ष सुनी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेर निगरानी आदेश निगरानीकर्ता की पीठ के पीछे पारित करके प्रार्थी का रिहायशी मकान का पट्टा प्रार्थी को बिना सुने विधि विरुद्ध रूप से खारिज कर दिया। जैर निगरानी आदेश की जानकारी निगरानीकर्ता को कतई नही थी। दिनांक 04.07.2019 को उत्तरवादी न 4 ने धमकी दी कि निगरानीकर्ता इस प्लाट से अपना कब्जा हटा लेवे क्योंकि निगरानीकर्ता का पट्टा पंचायत समिति ने खारिज कर दिया है। निगरानीकर्ता ने उसी दिन पंचायत समिति मे सम्पर्क किया तब निगरानीकर्ता को जैर निगरानी आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के निगरानी पेश कर दी गई। हस्तगत निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि मातहत न्यायालय के निर्णय के विरुध निगरानी पेश करने मे हुई देरी माफ की जाकर निगरानी अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करे ।

निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा ना तो कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओ के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील में गुणावगुण पर बहस प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 110/2011 अनवान हरीराम बनाम लूणसिंह आदि मे पारित निर्णय दिनांक 14.08.2012 के पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 9 मे वर्णित निर्देशो की पालना किये बगैर ही अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के नाम का पट्टा दिनांक 21.10.2014 को निरस्त कर दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ता 4 ने दौराने बहस निगरानी स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की।

उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। यह तथ्य सही है कि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ ने पूर्व में दिनांक 19.8.2011 को निगरानीकर्ता का पट्टा खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्व निगरानीकर्ता ने इस न्यायालय में एक निगरानी संख्या 110/2011 अनवान हरीराम बनाम लूणसिंह पेश की जो दिनांक 14.08.2012 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 19.08.2011 निरस्त कर निर्णय के पैरा संख्या 6 में अंकित तथ्यों व विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली मुरतीब करके उभय पक्ष को सुनवाई की जाकर पूर्व में पारित निर्णय के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की पालना करनी थी। परन्तु प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ ने निर्देशों की पालना किये बिना ही सीधा ही जैर निगरानी आदेश दिनांक 21.10.2014 निगरानीकर्ता को सुने बिना पारित कर दिया जो विधि विरुद्व होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानीधीन प्रस्ताव लिखते समय निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या भी 362 के स्थान पर 207 निर्णय दिनांक 25.7.1989 अंकित किया है, जबकि निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या 362 है जो दिनांक 30.03.1991 को राशि जमा होने पर ग्राम पंचायत सोमासर द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ का त्रुटिपूर्ण होने से हम निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ की बैठक दिनांक 21.10.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 12 (जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या 362 दिनांक 30.03.1991 निरस्त किया है), एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि इस न्यायालय की निगरानी संख्या 110/2011 अनवान हरीराम बनाम लूणसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2012 के पैरा संख्या 6 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner